समता पार्टी

संविधान एवं नियम

धारा - १

पार्टी का नाम :

पार्टी का नाम समता पार्टी होगा।

धारा - २

उद्देश्य :

समता पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में पूर्ण आस्था तथा निष्ठा रखेगा और समाजवाद, धर्म–निरपेक्षवाद और लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर भारत की एकता, प्रभुसत्ता और अखण्डता बनाए रखेगा।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान, जिन उदात्त निष्ठाओं ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया था और जो विरासत हमें गांधीजी के आदर्शों के रूप में मिली, उनसे प्रेरणा लेकर समता पार्टी एक लोकतांत्रिक, धर्म–निरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र के निर्माण के लिए कृत–संकल्प है। वह ऐसी राज–व्यवस्था में विश्वास करता है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण निश्चित हो। वह शांतिमय तथा लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार को स्वीकार करता है, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसक विरोध शामिल है।

धर्मतांत्रिक राज्य की अवधारणा समता पार्टी के सिद्धान्तों के विरूद्ध है और धर्मतांत्रिक राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य समता पार्टी का सदस्य नहीं होगा।

धारा -३

संगठनात्मक ढांचा :

समता पार्टी के निम्नलिखित अंग होंगे :

(१) राष्ट्रीय : (क) समता पार्टी का खुला अथवा विशेष अधिवेशन

(ख) राष्ट्रीय परिषद

(ग) राष्ट्रीय कार्यकारिणी

(२) राज्य इकाइयां (क) राज्य परिषद

(ख) राज्य कार्यकारिणियां

(३) जिला इकाइयां : (क) जिला परिषद

(ख) जिला कार्यकारिणियां

(४) मध्यवर्ती इकाइयां: (क) प्रखण्ड अथवा तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद

(ख) प्रखण्ड अथवा तहसील या चुनाव–क्षेत्र कार्यकारिणियां

(५) प्रारम्भिक इकाइयां : प्रारम्भिक कमेटियां :

नोट :

(क) प्रखण्ड अथवा तहसील या चुनाव–क्षेत्र और प्रारम्भिक इकाई के क्षेत्र, सम्बधित–राज्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(ख) इस संविधान में उल्लिखित "राज्य" शब्द में "केन्द्र शासित क्षेत्र" भी शामिल होंगे।

(ग) समस्त शहरों को, जहां नगर निगम है, इस संविधान के अन्तर्गत अलग जिले माना जाएगा।

(घ) ऐसे सभी महानगरीय क्षेत्रों को, जिनकी आबादी १५ लाख से ज्यादा है, एक से अधिक जिलों में विभक्त

किया जा सकता है और उनका क्षेत्र राज्य कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

धारा - ४

राज्य इकाइयों का क्षेत्र :

(१) भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुरूप समता पार्टी की राज्य इकाइयों का गठन होगा लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बम्बई महानगर में क्षेत्रीय स्तर की परिषद् के गठन की स्वीकृति दे सकती है, जो समता पार्टी की महाराष्ट्र राज्य की इकाई के कार्य–क्षेत्र के अन्तर्गत होगी। इस परिषद् के अधिकार और कार्यों की व्याख्या, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में की जाएगी।

लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रशासनिक सुविधा के लिए संबंधित राज्य इकाई की सहमति से किसी भी राज्य या केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के भाग को दूसरी राज्य शाखा को स्थानान्तरित कर सकती है।

पर शर्त यह भी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, यदि विशेष परिस्थितियां हों तो किसी भी राज्य अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र में पार्टी की इकाई का गठन न करने का निर्णय ले सकती है।

(२) राज्य इकाई का मुख्यालय संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की राजधानी में रखा जाएगा, लेकिन राज्य परिषद् राष्ट्रीय कार्यकारिणी से स्वीकृति लेकर राज्य इकाई का मुख्यालय बदल सकती है।

धारा - ५

सदस्यता :

(क) (१) १८ वर्ष या अधिक आयु का कोई व्यक्ति, जो धारा "२" को स्वीकार करता हो, फार्म "क" की लिखित घोषणा करने और दो रूपये द्विवार्षिक चंदा देने पर, समता पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा, परन्तु शर्त यह होगी कि वह किसी ऐसे अन्य राजनीतिक, साम्प्रदायिक अथवा किसी और दल का सदस्य न हो, जिसकी पृथक सदस्यता, कार्यक्रम और संविधान हो।

समता पार्टी का कोई विधायक या पदाधिकारी किसी भी साम्प्रदायिक संगठन की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा। समता पार्टी का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसी फ्रन्ट आर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा, जो समता पार्टी द्वारा शुरू किए गए काम के मुकाबले में काम करता है।

(२) कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थायी निवास में अथवा उस जगह में जहां वह अपना कामकाज करता हो, प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा।

(३) प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता का कार्यकाल, आगामी वर्ष में १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक रहेगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति द्विवार्षिक २५ प्रारम्भिक सदस्य भर्ती करने पर और फार्म "ख" के "घोषणा-पत्र" पर हस्ताक्षर करने व नीचे लिखी शर्तों को पूरा करने पर क्रियाशील सदस्य बन सकेगा।

(१) पार्टी द्वारा प्रकाशित कम से कम एक पत्रिका का उसे ग्राहक बनना होगा,

(२) उसकी आयु १८ वर्ष या अधिक हो,

(३) वह हाथ–कती तथा हाथ–बुनी खादी पहनने का आदी हो,

(४) वह मादक पेयों और नशीली दवाओं के प्रयोग से अपने को दूर रखता हो,

(५) वह किसी भी प्रकार की छुआछूत न मानता हो और न ही उसे मान्यता देता हो,

(६) वह साम्प्रदायिक एकता में विश्वास रखता हो, और दूसरों के धर्म का आदर करता हो,

(७) वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित अल्पतम प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा अल्पतम कार्य पूरा करने का वायदा करता हो।

(ग) प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता उस समय तक जारी रहेगी जब तक वह सदस्यता के नियमों के अनुसार द्विवार्षिक चन्दे की अदाएगी करता रहेगा और दी गई अन्य शर्तों को पूरा करता रहेगा। प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता का नवीनीकरण, आवश्यक सदस्यता–शुल्क जमा कराने और प्रारम्भिक अथवा क्रियाशील सदस्यता के नवीनीकरण–फार्म भरने पर जैसी भी स्थिति हो, पूरा हुआ मान लिया जाएगा।

(घ) प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों द्वारा दिया गया द्विवार्षिक चन्दा विभिन्न परिषदों के बीच निम्नलिखित अनुपात में बांटा जाएगा।

राष्ट्रीय परिषद्	**१५ प्रतिशत**
राज्य परिषद्	**२५ प्रतिशत**
जिला परिषद्	**२५ प्रतिशत**
अन्य इकाइयां	**३५ प्रतिशत**

नोट : प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता के चन्दे के ३५ प्रतिशत भाग को जिला परिषद् से नीचे की विभिन्न अधीनस्थ कमेटियों के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाएगा, इसका निर्णय संबधित राज्य परिषद करेगी।

(ड) राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर कार्यकारिणियों के सभी सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित चन्दे नियमित रूप से देने होंगे।

(च) हर जिला इकाई को छ : महीने में कम से कम एक बार अपने क्षेत्र के सभी क्रियाशील सदस्यों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने और उनके काम की छानबीन करने के लिए एक बैठक का आयोजन करना होगा।

धारा - ६

कार्यकाल :

सामान्यत : सभी पदाधिकारियों, प्रत्येक परिषद और प्रत्येक कमेटी के कार्यकाल की अवधि दो वर्ष होगी।

धारा - ७

सदस्यों की पंजिका या सूची :

(१) क्रियाशील और प्रारम्भिक सदस्यों की स्थायी पंजिका या सूची, जिला कार्यकारिणी द्वारा तैयार की जाएगी और निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित राज्य कार्यकारिणी प्रमाणित करेंगी। राज्य कार्यकारिणियां अपने क्रियाशील सदस्यों की सूचियां, राष्ट्रीय परिषद के केन्द्रीय कार्यालय में भेजेंगी और वे उन्हें उन परिवर्तनों के बारे में भी सूचित करती रहेंगी, जो इनमें समय-समय पर किए जाएंगे।

(२) जिला कार्यकारिणियों द्वारा तैयार की गई पंजिकाओं या सूचियों में प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम, पता, आयु, पेशा, निवास–स्थान का पता, सदस्यता फार्म के क्रमांक और भर्ती की तारीख का उल्लेख रहेगा।

(३) देहावसान हो जाने, त्यागपत्र देने, हटा दिए जाने तथा द्विवार्षिक शुल्क न देने से सदस्यता खत्म हो जाएगी।

धारा - ८

मतदाता और उम्मीदवारों की योग्यताएं :

(१) प्रत्येक प्रारम्भिक सदस्य, जिसका नाम इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार की गई प्रारम्भिक सदस्यों की सूची या पंजिका में दर्ज हो, प्रारम्भिक कमेटी के चुनाव में मतदान कर सकेगा।

(२) केवल क्रियाशील सदस्य को, जिसका नाम क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में हो, किसी भी परिषद् या कार्यकारिणी की सदस्यता के चुनाव के लिए, जो प्रारम्भिक इकाई के ऊपर के स्तर की हो, खड़े होने का अधिकार होगा।

(३) कोई भी पदाधिकारी लगातार तीसरे कार्यकाल में उसी पद के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा।

धारा - ९

विशेष प्रतिनिधित्व :

१. राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य व उससे निचले स्तर की कार्यकारिणियां राष्ट्रीय परिषद, राज्य तथा अन्य संबंधित निचले स्तर की परिषदों के १०% के बराबर सदस्य सहवरित कर सकेंगी।

२. राष्ट्रीय, राज्य और निचले स्तर पर सहवरित किए जाने वाले सदस्यों को किसी भी संगठनात्मक चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसे किसी व्यक्ति को सहवरित सदस्य होने के कारण, सामान्यतः किसी समिति की पूर्ण सदस्यता पाने के हेतु, चुनाव में लड़ने से रोका जाएगा।

३. "ब्लाक स्तर एवं उसके ऊपर की परिषदों, समितियों व पदाधिकारियों के गठन के चुनाव में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजातियों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को कम से कम ६० प्रतिशत–प्रतिनिधित्व दिया जाए जिसमें उपरोक्त वर्गों से कम से कम एक–एक सदस्य अवश्य सम्मिलित हो।

धारा - १०

प्रारम्भिक कमेटी :

(१) प्रारम्भिक इकाई की स्थापना ऐसे क्षेत्र में की जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र या म्युनिसिपल बोर्ड या मतदान केन्द्र के बराबर होगी या ऐसे क्षेत्र के बराबर होगी, जहां कम से कम २५ प्रारम्भिक सदस्य और एक क्रियाशील सदस्य हो, जिसका निर्धारण संबंधित जिला परिषद् करेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रारम्भिक इकाई की स्थापना ऐसे स्थान पर भी की जा सकती है, जहां कम से कम १५ प्रारम्भिक सदस्य हों।

(२) प्रारम्भिक कमेटी में कम से कम ५ और अधिक से अधिक ११ सदस्य होंगे, जिनमें प्रारम्भिक सदस्यों द्वारा इकाई के निर्वाचित अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं।

(३) प्रारम्भिक कमेटी का अध्यक्ष समता पार्टी का क्रियाशील सदस्य होगा।

(४) प्रारम्भिक कमेटी के सदस्यों में से अध्यक्ष एक सचिव नियुक्त कर सकता है।

धारा - ११

प्रखण्ड या तहसील या चुनाव-क्षेत्र परिषद् :

(१) प्रखण्ड अथवा तहसील या चुनाव परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) प्रखण्ड अथवा तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद् के क्षेत्र के अन्तर्गत प्रारम्भिक इकाइयां, जिनकी सदस्य संख्या १०० तक है, एक–एक सदस्य चुनेंगी, और जिनकी सदस्य संख्या १०० से अधिक है, दो–दो सदस्य चुनेंगी।

(ख) प्रखण्ड अथवा तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद् के अन्तर्गत पंचायत समितियों और नगरपालिका निकायों में समता पार्टी के सदस्यगण अपने में से १० प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे।

(ग) सहवरित सदस्य ।

(२) जब तक ५० प्रतिशत प्राथमिक कमेटियों का विधिवत् गठन प्राथमिक इकाई के क्षेत्रों में नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रखण्ड/ तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद् का गठन नहीं किया जायेगा।

(३) प्रखण्ड या तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद् की कार्यकारिणी में १५ सदस्य होंगे, जिनमें निर्धारित नियमों के अनुसार प्रखण्ड या तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं। प्रखण्ड या तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद् के सदस्यों में से ही प्रखण्ड या तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद् का अध्यक्ष दो सचिव नियुक्त करेगा :

(४) प्रखण्ड या तहसील या चुनाव–क्षेत्र इकाई का अध्यक्ष अपने

क्षेत्र में कम से कम तीन महीनों में एक बार प्राथमिक इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाएगा।

धारा - १२

जिला परिषद् :

१. जिला परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(१) जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रखण्ड या तहसील या चुनाव–क्षेत्र की कार्यकारिणियों के सदस्य :

(२) संबंधित जिला परिषद् के अन्तर्गत स्वायत्त संस्थाओं, पंचायतों के सदस्यों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने में से ही, निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या १०० से अधिक नहीं होगी

(३) जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हो और जो क्रियाशील सदस्य हों,

(४) जिले से केन्द्र और राज्य दोनों में समता पार्टी का विधायक,

(५) जिले के नगर निगम, नगरपालिका और जिला बोर्ड, जिला परिषद् अथवा जनपद में समता पार्टी के नेता,

(६) सहवरित सदस्य ।

२. जब तक ५० प्रतिशत मध्यवर्ती कमेटियों का गठन जिला इकाइयों में नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रखण्ड या तहसील या चुनाव–क्षेत्र परिषद् का गठन नहीं किया जाएगा।

३. जिला कार्यकारिणी में ५१ से अधिक सदस्य नहीं होंगे,

जिनमें निर्धारित नियमों के अनुसार जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष भी शामिल है।

जिला परिषद् के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों में से निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त करेंगे।

तीन उपाध्यक्ष

एक कोषाध्यक्ष और

अधिक से अधिक पांच सचिव

४. जिला अध्यक्ष तीन महीने में कम से कम एक बार अपने जिले में मध्यवर्ती इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन करेगा।

धारा - १३

राज्य परिषद् :

१. राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) प्रत्येक विधान सभा चुनाव–क्षेत्र अथवा महानगर परिषद् चुनाव–क्षेत्र से जिला परिषदों द्वारा निर्वाचित एक–एक सदस्य,

(ख) संबंधित राज्य में समता पार्टी विधायक दल के सभी सदस्य, संबंधित राज्य से समता पार्टी के सभी संसद सदस्य।

(ग) राज्य परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हो और वे समता पार्टी के क्रियाशील सदस्य हों।

(घ) समता पार्टी के राज्य विधायक दल के नेता,

(ङ) जिला परिषदों के अध्यक्ष, लेकिन शर्त यह होगी कि वे राज्य परिषद् के अध्यक्ष अथवा सचिव नहीं बन सकेंगे,

(च) राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य, जो राज्य में रहते हों,

(छ) सहवरित सदस्य।

(२) जब तक ५० प्रतिशत जिला इकाइयों का विधिवत गठन जिला इकाई के क्षेत्र मे नहीं होगा, तब तक किसी राज्य परिषद् का गठन नहीं किया जाएगा।

(३) राज्य परिषद् का प्रत्येक सदस्य परिषद् को हर दो वर्ष में ५० रूपये शुल्क देगा।

(४) राज्य की कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित ६५ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो निर्धारित नियमों के अनुसार राज्य परिषद् द्वारा चुने जाएँगे। राज्य समता पार्टी का अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से नीचे लिखे पदाधिकारी नियुक्त करेगा :

अधिक से अधिक पांच उपाध्यक्ष,

एक मुख्य महासचिव,

एक कोषाध्यक्ष,

अधिक से अधिक दस महासचिव

अधिक से अधिक दस सचिव

राज्य समता विधायक दल के नेता राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(५) राज्य समता पार्टी का अध्यक्ष अपने क्षेत्र की जिला इकाइयों के पदाधिकारियों की बैठक का कम से कम छः महीने में एक बार आयोजन करेगा।

धारा - १४

राष्ट्रीय परिषद् :

(१) समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(क) संबंधित राज्य से निर्वाचित लोक सभा सदस्यों की संख्या के बराबर, जिसे राज्य को चुनने का अधिकार है, समता पार्टी की प्रत्येक राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा उनमें से ही, इकहरी हस्तांनाणीय मतदान पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रणाली द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

(ख) समता पार्टी की राज्य परिषदों के समस्त अध्यक्ष, जिला परिषदों के सभी अध्यक्ष, समता पार्टी के राज्य विधायक दलों और महानगर परिषद् के नेता और समता संसदीय दल के नेता।

(ग) दल के सभी सांसद।

(घ) दल के भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व–प्रधानमंत्री व भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो समता पार्टी के क्रियाशील सदस्य हैं।

(ड) सहवरित सदस्य।

राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों को अपने–अपने राज्यों से चुनाव लड़ना होगा, राष्ट्रीय परिषद् के ५ प्रतिशत सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से मनोनीत किए जाएंगे।

(२) समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद को इस संविधान के अनुरूप समता पार्टी से संबंधित मामलों के नियमन हेतु, कदम उठाने का अधिकार होगा और मातहत इकाइयों को इसके आदेश का पालन करना होगा। समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक, आमतौर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी जितनी बार आवश्यक समझेगी, उतनी बार होगी, अथवा जब पूर्ण मताधिकार प्राप्त राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के २० प्रतिशत सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास, सम्मिलित आवेदन–पत्र भेजेंगे, तब होगी। ऐसे आवेदन–पत्र में उस कारण, का विशुद्ध रूप से विश्लेषण किया जाएगा, जिसके लिए सदस्यगण राष्ट्रीय परिषद् की बैठक बुलाना चाहते हैं। आवेदन–पत्र भेज कर बुलाई गई बैठक आवेदन–पत्र की प्राप्ति के २ माह के अंदर होगी, लेकिन शर्त यह होगी कि एक साल में, एक बार से अधिक आवेदन–पत्र भेजकर इस तरह की बैठक न बुलाई जा सकेगी। इस तरह की बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अतिरिक्त विषयों को भी विचारार्थ प्रस्तुत कर सकेगी।

(३) आवेदन–पत्र भेजकर बुलाई गई बैठकों के अलावा राष्ट्रीय परिषद् की अन्य सभी बैठकों में उन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कम से कम चार घंटे का समय दिया जाएगा, जिनके बारें में राष्ट्रीय परिषद् के द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार उचित पूर्व सुचना दे दी गई होगी।

(४) राष्ट्रीय परिषद् की बैठक के लिए कुल सदस्य–संख्या का पंचमांश भाग कोरम माना जाएगा।

(५) समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य १०० रूपये वार्षिक शुल्क देगा। वह समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के किसी एक मंत्री द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किया हुआ, ऐसा प्रमाण–पत्र हासिल करेगा कि वह समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का सदस्य है। बिना शुल्क दिए कोई

सदस्य समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक, विषय निर्धारण समिति की बैठक या समता पार्टी के खुले अधिवेशन में भाग नहीं ले सकेगा।

धारा - १५

विषय निर्धारण समिति :

(१) समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक विषय निर्धारण समिति के रूप में, समता पार्टी का खुला अधिवेशन होने से पूर्व, अध्यक्ष के सभापतित्व में होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी विषय निर्धारण समिति के समक्ष कार्यक्रम पेश करेगी, जिसमें समता पार्टी के खुले अधिवेशन में पेश करने हेतु प्रस्तावों के मसविदे शामिल होंगे।

(२) राज्य परिषदों अथवा राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा जिन प्रस्तावों के बारे में उचित सूचना दी जा चुकी होगी, उन पर यथासम्भव सोच-विचार करने के लिए चार घंटे का समय दिया जाएगा।

धारा - १६

डेलीगेट :

समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् और राज्य परिषद् के समस्त सदस्य, समता पार्टी के खुले अधिवेशन अर्थात् पूर्ण अधिवेशन के डेलीगेट होंगे।

धारा - १७

समता पार्टी का खुला अधिवेशन :

समता पार्टी का खुला अधिवेशन अथवा पूर्ण अधिवेशन

सामान्यतः दो साल में एक बार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित किए गये समय और स्थान पर होगा।

(२) समता पार्टी के खुले अधिवेशन में समता पार्टी के अध्यक्ष और अन्य डेलीगेट होंगे।

(३) समता पार्टी का अधिवेशन पहले उन प्रस्तावों पर विचार करेगा, जिनके स्वीकार करने की विषय निर्धारण समिति ने सिफारिश की होगी। इसके पश्चात् अधिवेशन ऐसे सारगर्भित प्रस्तावों पर विचार करेगा, जो ऊपर लिखित प्रस्तावों के मसविदों में शामिल नहीं किया गया, पर जिसके लिए उस दिन की बैठक आरम्भ होने से पूर्व ५० डेलीगेटों ने समता पार्टी के अधिवेशन के सम्मुख पेश करने की अनुमति पत्र लिख कर मांगी हो, लेकिन इसमें शर्त यह रहेगी कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी, जिस पर विषय निर्धारण समिति की बैठक में पहले बहस न हो चुकी हो और विषय निर्धारण समिति में उस समय उपस्थित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हुआ हो।

(४) जिस राज्य परिषद् के अधिकार क्षेत्र में अधिवेशन होगा, वह स्वागत समिति के रूप में व्यवस्था करेगी और इस कार्य के लिए उसे अन्य व्यक्तियों को भी स्वागत समिति का सदस्य बनाने का अधिकार होगा।

(५) स्वागत समिति, अधिवेशन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगी, जिसमें धन–संग्रह और उसका हिसाब रखना भी शामिल होगा। अधिवेशन के पश्चात् ६ महीने के अन्दर, इस हिसाब–किताब का आडिट, राष्ट्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त आडिटरों से कराया जायेगा।

(६) स्वागत समिति के पास जो कुछ धनराशि बची रहेगी, वह समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् और राज्य परिषद् के बीच

बराबर विभक्त कर दी जाएगी।

धारा - १८

विशेष अधिवेशन :

(१) समता पार्टी का विशेष अधिवेशन तब होगा, जब राष्ट्रीय परिषद ऐसा निश्चित करे या अधिकांश राज्य परिषदें कार्य सूची की चर्चा कर अपने प्रस्तावों द्वारा अध्यक्ष से इस प्रकार के विशेष अधिवेशन बुलाये जाने की प्रार्थना करें।

(२) खुले अधिवेशन अथवा पूर्ण अधिवेशन के डेलीगेट विशेष अधिवेशन के भी डेलीगेट होंगे।

(३) इस प्रकार विशेष अधिवेशन की व्यवस्था उस राज्य परिषद् द्वारा की जायेगी, जिसे अधिवेशन का आयोजन करने के लिए चुना जाएगा।

धारा - १६

अध्यक्ष का चुनाव :

(१) अध्यक्ष के निवार्चन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी एक को निर्वाचन अधिकारी के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी। लेकिन शर्त यह होगी कि वह दो वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी का पद ग्रहण नहीं करेगा। निर्वाचन अधिकारी निर्धारित नियमों के अनुसार मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा और मतदान की व्यवस्था करेगा।

(२) राष्ट्रीय परिषद् में कोई भी १० सदस्य, संयुक्त रूप से किसी भी राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य का नाम, समता पार्टी अध्यक्ष के पद पर चुने जाने के लिए पेश कर सकेंगे। ऐसे प्रस्ताव का राष्ट्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए

निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित नियमों के अनुसार पहुँच जाना जरूरी होगा।

(३) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने वाले व्यक्तियों के नाम छोड़कर, शेष उम्मीदवारों के नाम तुरन्त प्रकाशित कर देंगे। उम्मीदवारी वापिस लेने व नाम निकाल लेने के बाद, यदि सिर्फ एक ही उम्मीदवार शेष रह जाय, तो उसी व्यक्ति को आगामी अधिवेशन का उचित रूपेण निर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा।

(४) अध्यक्ष के लिए समता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित की गई तारीख पर, जो सामान्यतः चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के नामों के अन्तिम प्रकाशन के कम से कम सात दिन के बाद ही होगी, राष्ट्रीय परिषद् के प्रत्येक सदस्य को अध्यक्ष के चुनाव के लिए, नीचे लिखे तरीके के अनुसार मत देने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य वोट के पर्चे पर, जिस पर उम्मीदवारों के नाम होंगे, किसी एक के पक्ष में ही मत देगा। यदि दो से अधिक उम्मीदवार हो, तो जिन उम्मीदवारों के पक्ष में, वह मत दे रहा हो, उनके सामने १,२ आदि अंक लिख कर कम से कम दो तरजीहें दिखाएगा। दो से अधिक उम्मीदवारों के होने की अवस्था में, राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य चाहे तो दो से अधिक तरजीहें भी दिखा सकेगा। लेकिन वोट के जिन पर्चों पर दो से कम तरजीहें होंगी, उन्हें अवैध समझा जाएगा। वोट देने के पर्चे, इस कार्य के लिए निर्धारित बैलट बॉक्स अर्थात मतदान पेटी में रखे जाएंगे।

(५) बैलट बॉक्स अर्थात् मतदान-पेटियों को मतदान केन्द्र अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के पास भेजेंगे। बैलट बॉक्स के मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी यथाशीघ्र प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दिये गये मतों की, अर्थात् पहली तरजीहों की गणना करेगा। यदि कोई उम्मीदवार कुल मतों

में से पहली तरजीहों के ५०% से अधिक मत या तरजीहें हासिल कर लेगा, तो उसे अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित घोषित किया जाएगा। यदि किसी भी उम्मीदवार को पहली तरजीहें ५०% से अधिक न मिले, तो जिस उम्मीदवार को पहली तरजीहें सबसे कम मिलेंगी उसका नाम निकाल दिया जाएगा और जिन मतदाताओं ने उसे पहली तरजीहें दी होगी, उनकी दूसरी तरजीहों को बाकी उम्मीदवारों की मत–गणना करते समय गिना जायेगा। इस गणना में जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिलेंगे, उसका नाम निकाल दिया जाएगा और दिखाई गई तरजीहों के अनुसार, मतों का हस्तांतरण कर, लगातार गणना करते चले आने पर जब सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम निकाले जा चुकेंगे, तो जो उम्मीदवार कुल पड़े मतों के ५०% से अधिक मत प्राप्त करेगा, उसे अध्यक्ष के तौर पर चुना गया घोषित कर दिया जाएगा।

(६) किसी कारणवश संकटापन्न स्थिति पैदा हो जाने की अवस्था में, उदाहरणार्थ उपर्युक्त ढंग से निर्वाचित अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने या उनके पद–त्याग कर देने के कारण, उपर्युक्त ढंग पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा नये सिरे से निर्वाचन कराने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी तुरन्त तारीख निश्चित करेगी। नए अध्यक्ष का चुनाव छः महीने की अवधि के अन्दर होगा। नये अध्यक्ष का चुनाव हो जाने तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष चुनेगी।

(७) समता पार्टी के खुले या पूर्ण अधिवेशन या विशेष अधिवेशन का सभापतित्व, अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद करेगा। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन न हो रहा हो, तो वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त अधिकारों को प्रयोग करेगा।

धारा - २०

राष्ट्रीय कार्यकारिणी :

१. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष और ७४ सदस्य होंगे, जो

राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुने जायेंगे। समता पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक प्रधान सचिव व एक कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। वह अधिक से अधिक दस महासचिव भी नियुक्त कर सकते हैं।

२. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी बैठक के लिए कोरम पन्द्रह होगा।

३. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समता पार्टी की सबसे बड़ी सार्वधिक अधिकार प्राप्त कार्यकारिणी होगी और उसे समता पार्टी के खुले अधिवेशन या विशेष अधिवेशन तथा राष्ट्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा और वह राष्ट्रीय परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगी। इस संविधान की धाराओं की व्याख्या और प्रयोग सम्बन्धी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिकार निर्णायक होगा।

४. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की प्रत्येक बैठक के सम्मुख, उसकी पिछली बैठक की कार्रवाइयों का विवरण और उस बैठक की विषय-सूची रखेंगी। साथ ही, वह ऐसे निजी प्रस्तावों के लिए समय भी निर्धारित करेगी, जिनकी उचित सूचना राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार दे दी गई हो।

५. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समता पार्टी की समस्त इकाइयों के रिकार्ड, कागजात और बही-खातों की जांच करने के लिए एक या एक से अधिक आडिटरों, इंसपेक्टरों अथवा अन्य अफसरों की नियुक्ति कर सकेगी। इस प्रकार की समस्त इकाइयों एवं संगठनों के लिए इन आडिटरों, इंस्पेक्टरों अथवा अन्य अफसरों को सब तरह की जानकारी कराने और अपने सभी दफ्तरों, हिसाब एवं रिकार्डों के निरीक्षण

करने की सुविधा देना आवश्यक होगा।

६. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(क) संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाना; ऐसे नियम शीघ्रातिशीघ्र समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के सामने विचार के लिए रखे जाएंगे।

(ख) समता पार्टी की समस्त इकाइयों को ऐसे आदेश देना, जो संविधान से असंगत न हो।

(ग) अनुशासन संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(घ) संविधान की धारा ५ और ८ के उपबन्धों को विशेष मामलों में सथागित करने का राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अधिकार होगा।

७. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के हिसाब की जांच प्रति वर्ष नियुक्त किए गए आडिटर या आडिटरों से करायेगी।

८. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वह तारीख निश्चित करेगी, जिस पर मातहत जिला और राज्य इकाइयों तथा राष्ट्रीय परिषद् के गठन का कार्य पूरा करना होगा।

९. समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् की जायदादों के संचालन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक बोर्ड आफ् ट्रस्टीज नियुक्त करेगी। इस बोर्ड का कार्यकाल चार साल होगा और समता पार्टी के अध्यक्ष इस बोर्ड के पदेन सभापति होगें और कोषाध्यक्ष इस बोर्ड के पदेन सदस्य होगें।

१०. किसी विशेष परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय

कार्यकारिणी को समता पार्टी के हित में यथोचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा, लेकिन शर्त यह रहेगी कि यदि कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, जो संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारों से बाहर हो, तो उसे पुष्टि के लिए यथाशीघ्र समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के समक्ष रखना होगा।

धारा - २१

कोषाध्यक्ष :

कोषाध्यक्ष समता पार्टी के कोष का व्यवस्थापक होगा और वह समस्त पूंजी–विनियोग, आमदनी तथा खर्चे का ठीक–ठाक हिसाब रखेगा।

धारा - २२

प्रधान महासचिव :

अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अधीन प्रधान महासचिव समता पार्टी के कार्य–संचालन के व्यवस्थापक होंगे। समता पार्टी के खुले अधिवेशन की कार्रवाइयों का विवरण तैयार कराने और प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी प्रधान महासचिव की होगी। प्रधान महासचिव समता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कार्य एवं आडिट किए हिसाब का विवरण तैयार करेंगे, जो इसी प्रकार पेश किए गए पिछले विवरण के बाद के कार्यकाल का होगा और उसे वे हर वर्ष के आरम्भ में होने वाली राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में पेश करेंगे और उसे बैठक से काफी पहले सदस्यों के पास भेज दिया जाएगा।

धारा - २३

सदस्यता की छानबीन :

जिला परिषदों और राज्य परिषदों की कार्यकारिणियां, ष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार

प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती और उनके संबंध में शिकायतों को निपटाने के लिए समय-समय पर व्यवस्था करेंगी। लेकिन जब कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को गम्भीर शिकायतें मिलेंगी, तो उसे ऐसी शिकायतों की जांच-पड़ताल और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

धारा - २४

चुनाव संबंधी विवाद :

जिला परिषदों और राज्य परिषदों की कार्यकारिणियां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, चुनाव सम्बंधी शिकायतों को निपटाने के लिए व्यवस्था करेंगी। समता पार्टी की राज्य कार्यकारिणियों के निर्णयों के विरूद्ध, अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार निधारित विधि के अनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को होगा।

धारा - २५

चुनाव-तंत्र :

१ समता पार्टी की राज्य परिषद् और जिला परिषद् राज्य इकाई के अध्यक्ष और जिला इकाई के अध्यक्ष के चुनाव के समय क्रमशः राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी की नियुक्ति उपस्थित तथा मत देने वाले अपने-अपने सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से करेंगी।

२. समता पार्टी की कोई राज्य परिषद् राज्य इकाई के अध्यक्ष के चुनाव के साथ-साथ राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करने में यदि असमर्थ रहती है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्त करेगी। इसी प्रकार यदि समता पार्टी की कोई जिला परिषद् अपनी

पहली बठैक में जिला इकाई का अध्यक्ष चुनने के साथ–साथ जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त करने में असमर्थ रहती है, तो राज्य कार्यकारिणी जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी।

३. राज्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य में समता पार्टी के सभी चुनावों के संचालन का प्रबंध करेगा। वह राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की सलाह से सहायक निर्वाचन अधिकारी और ऐसे ही अन्य अधिकारी जो राज्य में चुनावों का सुचारू प्रबंध करने के लिए आवश्यक हों, नियुक्त करेगा, वह ऐसे दूसरे कार्यों का भी सम्पादन करेगा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समय–समय पर उसके लिए निर्धारित करें।

४. राज्य निर्वाचन अधिकारी, साधारणतः पूरे कार्यकाल तक इस पद पर रहेगा, लेकिन वह तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक कि नये राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाये हुए नियमों के अनुसार अपने पद से उसे हटा नहीं दिया जाता।

धारा - २६

झण्डा :

समता पार्टी के झंडे में समान चौडाई की तीन पट्टियां होंगी। ऊपर तथा नीचे की पट्टियां हरी होंगी और बीच की पट्टी सफेद होगी।

धारा - २७

चुनाव-चिन्ह :

समता पार्टी का चुनाव चिन्ह है **(मशाल)**

धारा - २८

केन्द्रीय पार्लियामेन्टरी बोर्ड :

(१) राष्ट्रीय कार्यकारिणी संसद में समता पार्टी की संसदीय गतिविधियों, विधान सभाई दलों की गतिविधियों के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए पार्लियामेन्टरी बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें पार्लियामेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष (जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी संगठन में कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करेंगे) और २२ दूसरे सदस्य होंगे, जिनमें समता पार्टी के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और संसद में समता पार्टी के नेता शामिल हैं। संसद विधान सभा व विधान परिषद् व दिल्ली महानगर परिषद् के लिए उम्मीदवारों का अन्तिम चयन पार्लियामेन्टरी बोर्ड इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार करेगा। प्रधान महासचिव पार्लियामेन्टरी बोर्ड के सचिव होंगे।

(२) पार्लियामेन्टरी बोर्ड के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। मतभेद होने की अवस्था में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।

धारा - २९

राज्य पार्लियामेन्टरी बोर्ड :

(१) राज्य कार्यकारिणी राज्य पार्लियामेन्टरी बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें राज्य पार्लियामेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष (जो राज्य स्तर पर पार्टी संगठन में कोई दूसरा पद ग्रहण नहीं करेंगे) और अधिक से अधिक १४ सदस्य होंगे, जिनमें राज्य समता पार्टी के अध्यक्ष, राज्य के प्रधान महासचिव और राज्य विधान मंडल में समता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। राज्य समता पार्टी के प्रधान महासचिव राज्य पार्लियामेन्टरी बोर्ड सचिव होंगे।

(२) चुनाव–क्षेत्र के अन्तर्गत कमेटियों की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुऐ राज्य पार्लियामेन्टरी बोर्ड, संसद और राज्य विधान–मंडलों के लिए समता पार्टी उम्मीदवारों की सिफारिश केन्द्रीय पार्लियामेन्टरी बोर्ड को भेजेगा। वह केन्द्रीय पार्लियामेन्टरी बोर्ड की हिदायतों के मुताबिक, विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव के लिए समता पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करेगा।

(३) केन्द्रीय पार्लियामेन्टरी बोर्ड, उम्मीदवारों का चयन करने तथा चुनाव संचालन सम्बंधी अन्य मामलों के बारे में राज्य पार्लियामेन्टरी बोर्ड का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक नियम बनायेगा।

धारा - ३०

अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई करने के लिए समितियां :

निर्धारित नियमों के अनुसार, अनुशासन भंग करने के मामलों को निपटाने हेतु, अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई करने के लिए, समितियों का गठन विभिन्न स्तरों पर किया जाएगा।

धारा - ३१

रिक्त-स्थान :

(१) किसी डेलीगेट या इस संविधान के अनुसार बनी किसी इकाई अथवा बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा पद से त्याग–पत्र दे देने, हट जाने या मृत्यु हो जाने से रिक्त स्थान की पूर्ति, उसी ढंग से की जायेगी, जिस ढंग से स्थान रिक्त करने वाले सदस्य चुने गए थे और इस प्रकार चुने गए सदस्य, रिक्त स्थान की शेष अवधि तक अपना पद सम्भालेंगे।

(२) किसी विपरीत नियम का प्रावधान न होने की अवस्था में, एक बार विधिवत् बनी हुई कोई इकाई या बोर्ड, किसी स्थान के रिक्त हो जाने के कारण, अवैध नहीं होगा।

धारा - ३२

संविधान में परिवर्तन :

इस संविधान में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन सिर्फ समता पार्टी के खुले अधिवेशन द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक को, जो उचित नोटिस द्वारा बुलाई गई हो और जिसमें उपस्थित सदस्यों में से दो–तिहाई का बहुमत हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सिफारिश पर, धारा –२ के अलावा संविधान में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय परिषद द्वारा किए गए परिवर्तन, समता पार्टी के आगामी खुले अधिवेशन के सामने पुष्टि के लिए रखे जाएंगे किन्तु पुष्टि होने से पहले भी, उन्हें राष्ट्रीय परिषद द्वारा निश्चित की गई तारीख से अमल में लाया जा सकेगा।

समता पार्टी

प्रारम्भिक सदस्यता फार्म (क)

(राज्य का नाम .....)

क्रमांक .....

शपथ

मैं समता पार्टी का प्रारम्भिक सदस्य भर्ती होना चाहता हूँ। मेरी आयु १८ वर्ष से अधिक है और मैं समता पार्टी के सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में विश्वास करता हूँ।

विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में मेरा पूर्ण विश्वास तथा निष्ठा है और मैं समाजवाद, धर्म–निरपेक्षवाद तथा लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित भारत की एकता, प्रभुसत्ता और अखण्डता बनाये रखूंगा।

महात्मा गांधी नें देश के समक्ष जिन मूल्यों और आदर्शों को रखा उन्हें मैं स्वीकार करता हूँ और स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो विरासत और उच्च परम्परायें भारत को मिली, उनसे प्रेरणा लेकर, मैं अपने ओपको एक लोकतांत्रिक, धर्म–निरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र के निर्माण के कार्य में समर्पित करता हूँ।

मेरा दृढ विश्वास है कि यह कार्य सिर्फ शांतिमय उपायों से पूरा किया जा सकता है, जिनमें सत्य ग्रह अथवा अहिंसक विरोध भी शामिल है।

मैं किसी ऐसे अन्य राजनीतिक, साम्प्रदायिक अथवा अन्य दल का सदस्य नहीं हूँ, जिसका पृथक विधान एवं कार्यक्रम हो। मैं खादी को बढ़ावा देने और नशाबन्दी में विश्वास रखता हूँ और जाति अथवा सम्प्रदाय के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता।

मैं समता पार्टी के संविधान, नियमों और अनुशासन का पालन करने का वचन देता हूँ।

इस फार्म के साथ मैं सदस्यता शुल्क के तौर पर १९..... के और १९..... के वर्ष के लिए दो रूपये जमा कर रहा हूँ।

समता पार्टी

क्रियाशील सदस्यता फार्म (ख)

(संविधान की धारा ५ (ख) के अनुसार)

क्रमांक.....

मैं समता पार्टी का १६..... के और १६..... वर्ष के लिए क्रियाशील सदस्य भर्ती होना चाहता हूँ। मैं घोषण करता हूँ। कि :–

(१) मेरी आयु १८ वर्ष अथवा अधिक है।

(२) मैं आदतन हाथ–कती एवं हाथ–बुनी खादी पहनने वाला हूँ।

(३) मैं अपने को मादक पेयों और औषधियों के प्रयोग से दूर रखता हूँ।

(४) मैं किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को नहीं मानता हूँ और न ही उसे मान्यता देता हूँ।

(५) मैं साम्प्रदायिक एकता में विश्वास रखता हूँ और दूसरे धर्मों का आदर करता हूँ।

(६) मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त करने और न्यूनतम कार्यभार पूरा करने का वादा करता हूँ।

(७) मैं..... से ..... तक की अवधि के लिए समता पार्टी प्रकाशन का ग्राहक बन गया हूँ। मैं १६ ..... के और १६ ..... वर्षों के लिए भर्ती किए गए २५ प्रारम्भिक सदस्यों का प्रारम्भिक सदस्यता शुल्क ५० रूपये जमा कर रहा हूँ।

नाम.....

पिता अथवा पति का नाम .....

स्थाई निवास–स्थान .....

कारोबार की जगह .....

स्थाई पता .....

आयु ..... पेशा .....

तारीख .....

भर्ती करने वाले के हस्ताक्षर

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थी को दी जाने वाली रसीद

रसीद संख्या .....

..... से प्राप्त

पता .....

.....

.....

समता पार्टी की क्रियाशील सदस्यता के लिए ..... को प्राप्त प्रार्थना–पत्र तथा साथ ही प्रारम्भिक सदस्य द्वारा भर्ती २५ प्रारम्भिक सदस्यों का सदस्यता शुल्क ५० रूपये।

भर्तीकर्ता के हस्ताक्षर

सचिव के हस्ताक्षर

समता पार्टी के नियम

समता पार्टी के संविधान के
अनुच्छेदों के अनुसार

(१६ अक्टूबर, १९९४ तक संशोधित)

धारा - २ उपबंध -५

प्रारम्भिक कमेटियां :

प्रारम्भिक इकाई का क्षेत्र साधारणत : ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामसभा के सीमा क्षेत्र के और म्युनिसिपल क्षेत्र में वार्ड या मतदान–केन्द्र के बराबर होगा, जिसका निर्धारण संबधित राज्य शाखाएं कर सकती हैं।

धारा - ४ उपबंध-१

बम्बई महानगर परिषद् को बम्बई नगर निगम के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन करने का अधिकार होगा। बम्बई महानगर क्षेत्र की इकाई महाराष्ट्र राज्य की इकाई के अंतर्गत उसके निरीक्षण और मार्ग–दर्शन में काम करेगी। इस बारे में समता पार्टी के अध्यक्ष मार्ग–दार्शिका जारी करेंगे।

धारा -५ (क)

सदस्यता :

१. पार्टी का केन्द्रीय कार्यालय और राज्य शाखा प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यता फार्म छपवायेंगे। जिला इकाइयां भी संबन्धित राज्य इकाई की पूर्व स्वीकृति और राज्य इकाई द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुसार ये फार्म छपवा सकती है।

२. सदस्यता–फार्म पर क्रमानुसार नम्बर डाले जायेंगे और उन पर अखिल भारतीय समता पार्टी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर मुद्रित होंगे।

३. प्रारम्भिक सदस्यता फार्म बहियों के रूप में जारी किए जायेंगे–हर बही में २५ फार्म होंगे। क्रियाशील सदस्यता–फार्मों की बही कम से कम १० और अधिक से

अधिक २० फार्मों की तैयार की जायेगी।

४. (क) जिले में सदस्यों की भर्ती के लिए मुख्यतः जिला इकाई उत्तरदायी होगी। पार्टी की राज्य शाखा, जिला इकाइयों को सदस्यता फार्म जारी करेगी, जिला इकाइयां अपनी अधीनस्थ कमेटियों को ये फार्म जारी करेंगी और इन कमेटियों के जरिये विभिन्न व्यक्तियों को फार्म जारी किये जायेंगे और किसी व्यक्ति को एक साथ ५०० से अधिक प्रारम्भिक सदस्यता फार्म और ५० से अधिक क्रियाशील सदस्यता फार्म जारी नहीं किए जायेंगे। अधिक सदस्यता फार्म केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जायेंगे, जिन्होंने पहले दिए गए फार्मों का पूरा हिसाब और उन फार्मों से प्राप्त शुल्क जमा करा दिया होगा। ऐसी जिला इकाई, जिसे सदस्यता फार्म छापने की अनुमति दी गई है, अपनी अधीनस्थ कमेटियों को सदस्यता फार्म जारी करेगी और साथ ही पार्टी की राज्य शाखा को इसकी सूचना भेजेगा।

(ख) यदि अधीनस्थ कमेटियों के खिलाफ सदस्यता फार्म उपलब्ध न किए जाने की शिकायत है तो जिला इकाई सदस्यता फार्म जारी कर सकती है और यदि उचित समझें तो संबंधित कमेटी के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई भी कर करती है। यदि इस प्रकार की भी शिकायत हो कि जिला इकाइयां उचित रूप से सदस्यता फार्म जारी नहीं कर रही है तो राज्य शाखा विभिन्न पार्टी इकाइयों और किसी भी व्यक्ति को सीधे फार्म जारी कर सकती हैं तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती हैं। यदि इस प्रकार की भी शिकायतें हों कि राज्य इकाइयां उचित रूप से फार्म वितरित नहीं कर रही हैं तो, पार्टी का केन्द्रीय कार्यालय पार्टी के किसी भी व्यक्ति और कमेटियों को सीधे फार्म जारी करेगा।

५. (क) किसी भी व्यक्ति अथवा पार्टी की इकाइयों को सदस्यता फार्म जारी करते समय विधियत रसीद लेनी होगी और उनसे लिखित रूप में यह भी वचन लेना होगा कि वे पूरे हिसाब के साथ इस्तेमाल न किए हुए फार्मों को वापिस लौटा देंगे

और भर्ती किए गए सदस्यों का पूरा शुल्क भी जमा करा देंगे।

(ख) सदस्यता फार्म निम्नलिखित लोगों को जारी किए जायेंगे :

१. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों और स्थायी आमंत्रितों को,

२. समता पार्टी के सभी संसद सदस्यों को,

३. राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्यों, स्थायी आमंत्रितों व विशिष्ट आमंत्रितों को,

४. राज्य विधान मंडल, महानगर परिषद और नगर निगमों के सभी पार्टी सदस्यों और जिला व तहसील अथवा प्रखंड स्तर पर पंचायती राज्य संस्थाओं के पार्टी सदस्यों को,

५. पार्टी की जिला इकाइयों के सभी सदस्यों को,

६. प्रंखड या चुनाव क्षेत्र इकाइयों के सभी सदस्यों और अन्य क्रियाशील सदस्यों को,

७. पार्टी के सभी अधिकृत उम्मीदवारों को जिन्होंने संसद, विधान सभा या विधान परिषद का चुनाव अथवा उपचुनाव लड़ा हो, लेकिन पराजित हुए हों।

(ग) व्यक्तियों या कमेटियों द्वारा इस्तेमाल न किए गए फार्म लौटाए जाने की स्थिति में प्राप्ति की हस्ताक्षरित रसीद जारी करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति इस्तेमाल न किए हुए फार्म और उनका हिसाब नहीं देता है, तो उसे संगठन के किसी भी चुनाव में खड़ा होने के लिऐ अयोग्य माना जायेगा।

(क) पार्टी की राज्य शाखाएं प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती के फार्म जारी करने के लिए अलग-अलग रजिस्टर रखेंगी, जिनमें प्रत्येक शाखा या व्यक्ति को जारी किए गए

फार्मों की क्रमानुसार संख्या तथा उन्हें जारी किये जाने की तारीख दर्ज होगी व इस्तेमाल न किए गए फार्मों को लौटा देने की तारीख दर्ज होगी।

(ख) पार्टी की जिला इकाइयों और अधीनस्थ कमेटियों को भी ऐसे रजिस्टर रखने होंगे।

७. (क) कोई भी इकाई या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उस समय तक भर्ती नहीं करेगा जब तक उसने प्रारम्भिक सदस्यता का सम्पूर्ण शुल्क अदा न कर दिया हो और क्रियाशील सदस्य होने पर पार्टी संविधान की धारा – ५ की शर्त को पूरा न किया हो,

(ख) राज्य समता पार्टी की कार्यकारिणी क्रियाशील सदस्यों की सूची में से किसी भी क्रियाशील सदस्य का नाम हटा सकती है यदि जिला इकाई अथवा अधीनस्थ कमेटी जांच करने के पश्चात् यह सिद्ध कर दे कि उसने क्रियाशील सदस्यता के लिए संविधान की धारा – ५ में उल्लिखित आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है।

८. (क) राज्य इकाइयां प्रत्येक वर्ष में भर्ती किए गए प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों का विवरण और संख्या भर्ती की आखिरी तारीख के बाद दो महीने के अंदर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय को भेजेंगी। राज्य इकाइयां इस विवरण के साथ सदस्यता शुल्क और पार्टी कोष का केन्द्रीय अंश और साथ ही क्रियाशील सदस्यों की पूरी सूची भी पूरे विवरण के साथ भेज देगी। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर सदस्य के रूप में भर्ती नहीं होगा।

(ख) जो भी इकाई या उसकी अधीनस्थ कमेटी इन नियमों का पालन करने में विफल रहती है, वह अनुशासनात्मक कार्यवाई की पात्र होगी।

९. एक जिले के लिए जारी किए गए प्रारम्भिक और क्रियाशील

सदस्यता फार्म संबधित राज्य इकाई की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी दूसरे जिलों में काम में नहीं लाये जायेंगे।

१०. प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की भर्ती का क्षेत्र संबंधित राज्य तक सीमित रहेगा, जिसमें वह सदस्य बनता है, लेकिन कोई भी क्रियाशील सदस्य अपनी सदस्यता किसी दूसरे राज्य में स्थानान्तरित कराने की प्रार्थना कर सकता है।

धारा -५ (ख)

क्रियाशील सदस्यता :

१. कोई भी व्यक्ति जो क्रियाशील सदस्य बनना चाहता है, उसके लिए कम से कम एक वर्ष तक प्रारम्भिक सदस्य रहना आवश्यक है अर्थात क्रियाशील सदस्य बनने की तारीख से पूर्व ३६५ दिन उसे प्रारम्भिक सदस्य रहना होगा। यह प्रावधान राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित तारीख से ही लागू किया जायेगा।

२. क्रियाशील सदस्यों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कार्य होंगे :

(क) पार्टी कार्यकर्त्ताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण या शिक्षण शिविरों में एक वर्ष में कम से कम एक बार भाग लेना,

(ख) नीचे लिखे रचनात्मक कार्यक्रमों में से एक में भाग लेना :

१. अस्पृश्यता–निवारण

२. किसान–संगठन, कृषि मजदूर और जनजातियों का संगठन

३. नशाबंदी और आत्मसंयम को बढ़ावा देना,

४. खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना,

५. श्रमिकों का संगठन

६. युवकों का संगठन

७. छात्रों का संगठन

८. छोटी बचत अभियान को बढ़ावा देना,

९. शिक्षा और व्यस्क शिक्षा को बढ़ावा देना,

१०. गाँवों में सफाई–थराई, स्वास्थ और स्वच्छता कार्य,

११. राष्ट्रभाषा प्रचार और भारतीय भाषाओं के विकास के लिए काम करना,

१२. सहकारिता को बढ़ावा देना,

१३. पार्टी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयसेवी संगठनों मे काम करना,

१४. पंचायती राज को बढ़ावा देना,

१५. भूमि सेना और अन्य रोजगार उत्पन्न करने वाली योजनाओं में काम करना

१६. ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना,

१७. जातिगत और साम्प्रदायिक शांति के लिए काम करना,

१८. महिला कल्याण के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना,

१९. परिवार कल्याण कार्यक्रमों के विकास में योगदान करना।

धारा - ६

सदस्यों की पंजिका :

१. जिला कार्यकारिणी और अधीनस्थ कमेटियां, जो पार्टी की राज्य कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत होंगी, प्रारम्भिक सदस्यों की सूचियां रखेंगी। इन सूचियों में सदस्यों के बारे में

निम्नलिखित बातें दर्ज होंगी :

१. क्रम संख्या

२. नाम

३. पिता या पति का नाम

४. स्थायी निवास–स्थान अथवा कारोबार की जगह

५. स्थायी पता

६. वर्तमान पता

७. आयु

८. पेशा

९. भर्ती होने की तारीख

१०. भर्ती के फार्म की क्रम संख्या

११. टिप्पणियां

२. समता पार्टी की राज्य और जिला कार्यकारिणियां क्रियाशील सदस्यों की स्थायी पंजिकाएं रखेंगी। इन पंजिकाओं में सदस्यों के बारे में निम्नलिखित विवरण होगा :

१. क्रम संख्या

२. नाम

३. पिता या पति का नाम

४. स्थायी निवास–स्थान अथवा कारोबार की जगह

५. स्थायी पता

६. वर्तमान पता

७. आयु

८. व्यवसाय या पेशा

९. क्रियाशील सदस्य के रूप में भर्ती होने की तारीख

१०. क्रियाशील सदस्य फार्म की क्रम संख्या

११. अधीनस्थ कमेटी, जिसका आवेदक सदस्य है

१२. प्रारम्भिक सदस्य के रूप में भर्ती होने की तारीख

१३. प्रारम्भिक सदस्य की पंजिका में क्रम संख्या

१४. सदस्यता नवीनीकरणके शुल्क की अदायगी की तारीख

१५. क्रियाशील सदस्य के रूप में सदस्य की गतिविधियां।

३. जिला कार्यकारिणी या राज्य कार्यकारिणी के निर्णय या अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप यदि प्रारम्भिक तथा क्रियाशील सदस्यों की सूचियों और रजिस्टरों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित इकाई के अध्यक्ष या मंत्री के हस्ताक्षर के साथ लाल स्याही से इस प्रकार का परिवर्तन किया जायेगा।

क्रियाशील सदस्य होने का केन्द्रीय कार्यालय के निर्णयानुसार जिला इकाई सदस्य को परिचय–पत्र प्रसारित करेगी।

धारा - ७

प्रारम्भिक तथा क्रियाशील सदस्यों की सूची तैयार करना :

१. हर दो वर्ष में ३१ मार्च से पूर्व या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित किये गये समय पर जिला इकाई पिछली अवंधि में भर्ती किये गये या नवीनीकरण कराये गये प्रारम्भिक और

क्रियाशील सदस्यों की प्रारम्भिक सूची प्रकाशित करेगी। छानबीन के पश्चात् संशोधित व अन्तिम सूची हर दूसरे वर्ष की 31 अगस्त तक या राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निश्चित की गई तारीख तक प्रकाशित की जाएगी।

२. इस प्रकार प्रकाशित अन्तिम सूची, आगामी सूची के तैयार होने तक अमल में आएगी।

धारा - ८

विशेष प्रतिनिधित्व :

(क) प्रखण्ड स्तर और उससे ऊपर की इकाइयों की परिषद् कार्यकारिणी अथवा समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मतपत्र के दो भाग होंगे: भाग एक चुने जाने वाले कुल सदस्यों के ६० प्रतिशत, समीपतम संख्या, उन सदस्यों के चुनाव के लिए होगा जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों और महिलाओं की विशेष श्रेणियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से चुने जाने वाले सदस्यों के लिए होगा तथा भाग दो में शेष चुने जाने वाले उम्मीदवारों के नाम होंगे। एक मतदाता हर भाग में संख्या एक से लेकर हर भाग में चुने जा सकने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या तक के लिए अपनी तरजीहें दर्ज कर सकता है। जिस मत पत्र पर भाग एक की संख्या "१" से भाग दो में निहित नामों की तरजीहें दर्ज नहीं होंगी, वह अवैध घोषित माना जाएगा। मतदान गुप्त तथा हर भाग के लिए इकहरी हस्तांतरणीय पद्धित के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।

(ख) प्रखण्ड स्तर और उससे ऊपर की समितियों के पदाधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति में इकाई का अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखेगा कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को कम से कम ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया

जाये कि ऊपरलिखित श्रेणियां में से प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य अवश्य सम्मिलित हो।

लेकिन शर्त यह होगी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर पांच पदों में से अर्थात अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, विधानमण्डल का नेता, उपाध्यक्ष/वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महसचिव/वरिष्ठ महासचिव में से एक-एक पद अनुसूचित जातियों/जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को प्राप्त हो।

(ग) प्राथमिक स्तर को छोड़ कर पार्टी के विभिन्न स्तरों पर केवल विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ही सहवरित सदस्य होंगे। कुल सहवरित सदस्यों में से कम से कम २५ प्रतिशत महिलाए होंगी, २५ प्रतिशत अल्पसंख्यकों में से होंगे ३० प्रतिशत अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों में से होंगे और शेष २० प्रतिशत ऐसे वर्गों से होंगे, जिन्हे प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

(घ) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति प्रारम्भिक कमेटी का सहवरित सदस्य होगा।

धारा - ६

प्राराम्भिक कमेटी :

प्रारम्भिक इकाई के क्षेत्र में भर्ती हुए सभी प्रारम्भिक सदस्य प्रारम्भिक कमेटी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के चुनाव में मतदाता होंगे। प्रारम्भिक कमेटी की अधिकतम संख्या अध्यक्ष सहित उसके कार्य-क्षेत्र में बने प्रारम्भिक सदस्यों के अनुसार निम्नलिखित आधार पर होगी :

प्रारम्भिक सदस्यों की संख्या	प्रारम्भिक कमेटी की अधिकतम संखा
५० तक	५

५० से ऊपर और १०० तक	७
१०० से ऊपर	११

प्रारम्भिक इकाई के सभी प्रारम्भिक सदस्य निश्चित समय और स्थान पर चुनाव के लिए इकट्ठे होंगे और हर सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों में से एक को मत देने का अधिकार होगा। यह चुनाव हाथ दिखाकर होगा और चुनाव का नतीजा साधारण बहुमत के आधार पर घोषित किया जाएगा। प्रारम्भिक कमेटी के सदस्य भी इसी पद्धति से चुने जायेंगे।

धारा - १०

प्रखंड या चुनाव-क्षेत्र कार्यकारिणी :

(क) प्रखंड या चुनाव–क्षेत्र कार्यकारिणी के चुनाव के लिए उम्मीदवार का किसी प्रारम्भिक कमेटी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

(ख) प्रखंड या चुनाव–क्षेत्र कार्यकारिणी के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार का निवास–स्थान साधारणतया उसी प्रखंड के चुनाव–क्षेत्र में होना चाहिए।

धारा - ११

जिला कार्यकारिणी :

(क) जिला कार्यकारिणी के चुनाव के उम्मीदवार के लिए किसी अधीनस्थ कमेटी या परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

(ख) जिला कार्यकारिणी के चुनाव में खड़े होने वाले किसी उम्मीदवार का निवास–स्थान साधारणतया संबंधित जिले में

होना चाहिए।

धारा - १२

राज्य परिषद् :

(क) राज्य परिषद् के लिए उम्मीदवार का किसी अधीनस्थ कमेटी या परिषद् का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

(ख) राज्य परिषद् के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार का निवास–स्थान साधारणतया संबंधित राज्य में होना चाहिए।

धारा - १३

राष्ट्रीय परिषद :

राष्ट्रीय परिषद् के वे सदस्य जो राष्ट्रीय परिषद् के विचारार्थ प्रस्ताव भेजना चाहतें है, उन्हें यह प्रस्ताव लिखित रूप में समता पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद् की बैठक की निश्चित तारीख से १५ दिन पूर्व भेज देना चाहिए।

धारा - १४

डेलीगेट :

समता पार्टी के खुले अधिवेशन में किसी भी डेलीगेट को जिसने २० रूपये डेलीगेट शुल्क अदा नहीं किया है, भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

धारा - १५

राष्ट्रीय कार्यकारिणी :

(अ) १. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव में केवल राष्ट्रीय परिषद् का

सदस्य ही खड़ा हो सकता है।

२. नामांकन पत्र का प्रस्ताव और समर्थन राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ही करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी सदस्य ५ से अधिक उम्मीदवारों के नाम को प्रस्ताव नहीं करेगा।

३. नामांकन पत्रों पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की सहमति अंकित होगी।

(ब) १. मतदान गुप्त रहेगा और इकहरी हस्तांतरणीय प्रणाली के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।

२. मतदाता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के बराबर मत–पत्र पर वोट अंकित कर सकता है, लेकिन शर्त यह होगी कि किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में एक से अधिक मत नहीं दिये जा सकेंगे।

३. यदि कोई मतदाता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक वोट मत–पत्र पर अंकित करता है तो उसका मत–पत्र अवैध घोषित कर दिया जाएगा।

४. ये नियम राज्य परिषद, राज्य कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और प्रखंड अथवा चुनाव–क्षेत्र परिषद् कमेटी के सदस्यों के चुनाव में भी ज्यों–के–त्यों लागू होंगे।

५. राज्य शाखाओं और अधीनस्थ शाखाओं के अध्यक्षों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और उनके परिणाम की घोषणा साधारण बहुमत के आधार पर होगी।

धारा - १६

सदस्यता की छानबीन :

१. कोई भी व्यक्ति, जिसे पार्टी संविधान की धारा ५ (ख) के

अंतर्गत क्रियाशील सदस्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो अथवा जिसका नाम निकाल दिया गया हो या प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में गलत दर्ज किया गया हो अथवा कोई सदस्य, जिसे किसी के नाम दर्ज करने में एतराज हो तो वह संबंधित जिला इकाई के मंत्री अथवा अध्यक्ष के पास प्रारम्भिक मतदाता सूची के प्रकाशन के १५ दिन के अन्दर निश्चित रूप से कारण देते हुए इन्कार कर देने या दर्ज करने के संबंध में एतराज भेज सकता है।

२. जिला कार्यकारिणी एतराज करने वाले या किसी अन्य संबंधित पक्ष की बात सुनने के पश्चात् किसी नाम को दर्ज करने, ठीक करने या प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्यों की पंजिका में से निकाल देने के संबंध में निर्देश दे सकती है। जिला कार्यकारिणी सामान्यतया ऐसी शिकायतों का निपटारा, शिकायतें प्राप्त करने के बाद १५ दिन के अन्दर कर देगी।

३. जिला कार्यकारिणी को किसी भी प्रारम्भिक और क्रियाशील सदस्य की सदस्यता–फार्म की छानबीन करने और सदस्य बनाने में पार्टी संविधान के प्रावधानों और नियमों का पालन हुआ है या नहीं, के परीक्षण का अधिकार होगा। क्रियाशील सदस्यों द्वारा भेजी गई नियतकालिक रिपोर्टों की छानबीन भी कार्यकारिणी कर सकती है और वह संबंधित व्यक्तियों को सफाई का मौका देने के बाद अपना निर्णय देगी।

४. जिला कार्यकारिणी अपनी कार्रवाई का संक्षित विवरण रखेगी और सभी संबंधित व्यक्तियों को लिए गए निर्णयों की प्रतिलिपि निर्णय लेने के तीन दिन के अन्दर भेज देगी।

५. यदि उस समय विधिवत निर्वाचित जिला इकाई काम नहीं कर रही हो और उसकी जगह तदर्थ समिति काम कर रही हो तो सभी आपत्तियां तदर्थ समिति के अध्यक्ष या संयोजक, जो भी हो, को पेश की जाएगी।

६. जिला कार्यकारिणी के निर्णय के विरूद्ध दस दिन के अन्दर प्रभावित पक्ष द्वारा राज्य कार्यकारिणी के सम्मुख अपील दायर की जाएगी। राज्य कार्यकारिणी अपीलों का फैसला, उनकी प्राप्ति के १५ दिन के अंदर कर देगी। जिला कार्यकारिणी के निर्णय तभी अमल में आएंगे जब या तो उनके विरूद्ध अपील करने की अवधि बीत गई हो या की गई अपीलों पर फैसले दे दिये गये हों।

७. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी को इन नियमों के अधीन उन्हें प्राप्त अधिकार एक या अधिक उप–समितियों को सौंपने का अधिकार होगा।

८. प्रभावित पक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष अपनी अपील राज्य कार्यकारिणी के निर्णय लेने के १५ दिन के अंदर कर सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी गंभीर मामलों से संबंधित अपीलों पर ही विचार करेगी और उसके निर्णय अंतिम समझे जाएंगे।

धारा - १७

चुनाव संबंधी विवाद :

१. राज्य शाखा के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों तथा राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों से संबंधित शिकायतें चुनाव परिणाम घोषित होने के १५ दिन के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त चुनाव–विवाद समिति के सचिव के समक्ष याचिका के रूप में पेश करनी होगी।

२. केवल संबंधित राज्य परिषद का सदस्य ही उपर्युक्त उपबंध (१) में उल्लिखित याचिका पेश कर सकता है।

३. ऊपर लिखे उपबंध (१) में उल्लिखित याचिकाओं के अतिरिक्त हर चुनाव याचिका, चुनाव परिणाम घोषित होने के ७ दिन के अंदर, संबंधित जिला कार्यकारिणी द्वारा गठित

चुनाव विवाद समिति के सचिव के समक्ष दायर करनी होगी। जिस जिले में तदर्थ समितियां है, वहां चुनाव विवाद समिति का गठन राज्य कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा और जिस राज्य में तदर्थ समिति है इसमे चुनाव विवाद समिति का गठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। जो भी हो, जिला कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों के विरूद्ध पेश की जाने वाली याचिकाएं केवल राज्य चुनाव विवाद समिति के समक्ष ही दायर की जायेंगी।

४. चुनाव याचिकाएं संबंधित अधिकृत अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से लाकर दी जा सकती हैं या रजिस्ट्री पोस्ट द्वारा भेजी जा सकती है।

५. पार्टी की किसी भी इकाई को चुनाव याचिका या अपील का फैसला हो जाने से पहले किसी सदस्य या पदाधिकारी को उसकी सदस्यता या पद से हटाने या स्थगन की अंतरिम आज्ञा प्रदान करने का अधिकार नहीं होगा।

६. जिले की चुनाव विवाद समिति को चुनाव के विरूद्ध दी गई प्रत्येक याचिका के प्रस्तुत करने के सामान्यतया ३० दिन के अंदर निर्णय देना होगा। निश्चित समयावधि में जिला चुनाव विवाद समिति द्वारा निर्णय न देने पर राज्य चुनाव विवाद समिति इसके निर्णय के लिये व्यवस्था कर सकती है।

७. जिला चुनाव विवाद समिति के निर्णय की घोषणा के १० दिन के अंदर राज्य विवाद समिति के सामने उस निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की जाएगी। इस तरह की सभी अपीलों पर सामान्यतया दायर किये जाने के एक माह के अंदर निर्णय हो जाना चाहिए। अगर राज्य चुनाव विवाद समिति एक माह के अंदर निर्णय करने में असफल रहती है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसी अपीलों को निपटाने की समुचित व्यवस्था कर सकती है।

संबंधित कार्यकारिणी की स्वीकृति के बिना उस व्यक्ति के अलावा जो अपील या चुनाव याचिका दायर करता है किसी अन्य व्यक्ति को कार्यकारिणी के सामने बहस करने का अधिकार नहीं होगा। इन अपीलों की सुनवाई में वकील नहीं किये जायेंगे।

६. राज्य चुनाव विवाद समिति के निर्णय की घोषणा के १५ दिन के अदर केन्द्रीय चुनाव विवाद समिति के समक्ष अपीलें दायर की जा सकेंगी। केन्द्रीय चुनाव विवाद समिति इस तरह की अपीलें स्वीकार नहीं करेगी, जब तक कि ऐसी अपील में प्रारम्भिक सबूत न हो।

धारा - १८

चुनाव-तंत्र :

१. प्रत्येक राज्य निर्वाचन अधिकारी और उसके अधीन अन्य निर्वाचन अधिकारी पार्टी के सदस्य होंगे, लेकिन वे किसी कमेटी या इकाई की सदस्यता या पद ग्रहण नहीं करेंगे। वे पार्टी के किसी भी चुनाव के लिए अपने पद ग्रहण करने की अवधि और उसे छोड़ देने के एक वर्ष बाद तक किसी भी ऐसे क्षेत्र में उम्मीदवार के रूप में खड़े नहीं हो सकेंगे जिसमें वह निर्वाचन अधिकारी रहे हों।

२. राज्य तथा जिला अधिकारी के कार्यालय क्रमश : राज्य तथा जिला इकाइयों के मुख्यालयों में होंगे, लेकिन शर्त यह है कि संबंधित राज्य कार्यकारिणी अथवा जिला कार्यकारिणी की विशेष अनुमति से, जो भी स्थिति हो, वे अपने कार्यालय अन्यत्र भी रख सकते हैं।

३. राज्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के सभी पार्टी चुनावों के संचालन करने का उत्तरदायी होगा। वह इस प्रकार के चुनावों के कार्यक्रम का निश्चय राज्य कार्यकारिणी की सलाह से करेगा। पार्टी संविधान तथा उसमें उल्लिखित नियमों

के अनुसार चुनावों को ठीक ढंग से संचालन करने के लिए समुचित निर्णय लेने का उसे अधिकार होगा।

४. राज्य परिषद अपनी आम बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के तीन–चौथाई बहुमत से किसी निर्वाचन अधिकारी को हटा देने मे सक्षम होगी और ऐसा निर्णय ले सकेगी अगर उसे यह विश्वास हो जाए कि उसने अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जो उसके पद के लिए उचित है, बशर्ते कि इस ढंग की किसी कार्रवाई करने से पूर्व उसे उसके ऊपर लगाए गये आरोपों की सफाई देने का अवसर प्रदान किया गया हो।

५. राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी राज्य निर्वाचन अधिकारी या किसी अन्य चुनाव अधिकारी को, जिसे उसने नियुक्त किया हो, हटा सकती है अगर उसे इस बात का विश्वास हो जाए कि उसने अपने पद का दायित्व उपयुक्त ढंग से नहीं निभाया या नही निभाएगा। लेकिन शर्त है यह कि इस प्रकार की कार्रवाई करने से पूंर्व उसे लगाये गये आरोपों की सफाई देने का अवसर प्रदान किया जाये।

६. राज्य निर्वाचन अधिकारी किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी या किसी भी चुनाव अधिकारी को हटा सकता है, यदि उसे यह विश्वास हो जाय कि उसने ठीक ढंग से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, बशर्ते कि ऐसा किये जाने से पूर्व उसे लगाये गये आरोपों की सफाई देने का उचित अवसर प्रदान किया हो।

७. राज्य निर्वाचन अधिकारी अथवा उससे ऊपर के अधिकारी पूर्वानुमति के बिना किसी भी निर्वाचन अधिकारी या उच्च अधिकारी को अपने किसी भी कार्य या दायित्व को दूसरे को सौंपने या डेलीगेट करने का अधिकार नहीं होगा।

८. राज्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख अथवा नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में पार्टी चुनावों के संचालन

के लिये जिम्मेदार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर जिले में चुनावों के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं पोलिंग तथा दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

९. जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्रो के स्थानों और प्रत्येक केन्द्र के अंतर्गत आए क्षेत्र का निर्धारण तथा उनका प्रकाशन चुनाव की तारीख से १० दिन पूर्व करेगा। वह मतदान के दिन, तारीख तथा निश्चित समय की विज्ञप्ति मतदान से कम से कम दस दिन पूर्व करेगा।

१०. पोलिंग अधिकारी मतदान केन्द्र पर शांति व्यवस्था रखने के लिए जिम्मेदार होगा और उसके लिए उचित ढंग से चुनाव कराना जरूरी होगा।

११. नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि द्वारा संबंधित निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख दिये जाने चाहिए या उसके नाम रजिस्ट्री द्वारा भेजे जाने चाहिए। नामांकन पत्र छपे हुए या हस्तलिखित हो सकते हैं।

१२. ऐसे उम्मीदवार जिनके नामांकन पत्र वैध ठहराए गए हैं और वे नाम वापिस लेना चाहते हैं, तो वे नाम वापिस लेने का पर्चा संबंधित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल करेगा अथवा उसका प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उसे दाखिल करेगा या जिला निर्वाचन अधिकारी के पास रजिस्ट्री डाक से इस तरह से भेजा जाएगा कि वह मतदान आरम्भ होने से कम से कम ४८ घंटे पूर्व पंहुच जाए। नाम वापिस लेने का पर्चा उम्मीदवार के हाथ से लिखा होना चाहिए।

१३. मत–पत्र द्वारा चुनाव की पद्धति नीचे लिखे प्रकार होगी :

१. मतदान अधिकारी (पोलिंग अधिकारी) पर मतदान की गोपनीयता बनाए रखने तथा एक समय पर मतदान स्थल

में मतदाताओं के आने को व्यवस्थित रखने का दायित्व होगा।

२. जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित अधिकारी को संबधित उम्मीदवारों की और से एजेंटों का मतदान स्थल में प्रवेश करने तथा मतदान के निरीक्षण के लिये स्वीकृति देने का अधिकार होगा। मतदान अधिकारी मतदाता को मत–पत्र देने से पूर्व प्रत्येक मत–पत्र के कोने में अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

३. मतदान के समाप्त होने पर मतदान अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की गणना करेगा तथा इन आंकड़ों की रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी के पास भेजेगा। यदि उम्मीदवार चाहे तो वह तथा/अथवा उनका एक प्रतिनिधि गणना के समय उपस्थित रह सकता हैं।

४. विभिन्न मतदान केन्द्रों से प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या मिल जाने पर निर्वाचन–अधिकारी चुनाव परिणाम की घोषणा करेगा।

१४. हाथ उठाकर मतदान किये जाने की प्रणाली निम्नलिखित होगी :

१. मतदान अधिकारी मतदान आरम्भ होने के समय की अधिसूचना जारी करेगा। मतदान अधिकारी को, यदि वह आवश्यक समझे, यह समय आधा घंटा बढ़ाने का अधिकार होगा।

२. मतदान अधिकारी मतदाताओं की बैठक के स्थान में प्रवेश करते समय उसकी छानबीन कर सकता है।

३. मतदान अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के एक एजेंट को मत–गणना के समय साथ रखेगा। गणना के पश्चात मतदान अधिकारी इन पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर परिणाम की लिखित घोषणा पर भी ले सकता है।

१५. पार्टी चुनावों के दौरान उम्मीदवार मतदाताओं को लाने के लिए न तो वाहनों का प्रयोग करेंगे और न ही अनुचित इश्तहारबाजी व दूसरे प्रकार का आम प्रचार करेंगे। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों का चुनाव अवैध हो जाएगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

१६. राज्य परिषद् के सदस्यों की पहली बैठक राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसी के सभापतित्व में बुलाई जाएगी या फिर उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। इस बैठक द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से राज्य परिषद् के अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होगा। इस तरह जिला परिषद के सदस्यों की बैठक का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में होगा, अथवा उसकी गैर–मौजूदगी में राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा और इस बैठक में जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सदस्यों को चुना जाएगा। इसी प्रकार प्रखंड या चुनाव क्षेत्र परिषद् की पहली बैठक प्रखंड या चुनाव–क्षेत्र निर्वाचन अधिकारी के सभापतित्व में उसी के द्वारा बुलाई जाएगी या फिर उसकी अनुपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामजद व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा। ऐसी बैठक में प्रखंड या चुनाव–क्षेत्र परिषद् का अध्यक्ष या उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होगा।

धारा - १६

केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन :

१. कार्यकारिणी अपने गठन के बाद अपनी पहली बैठक में पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करेगी जो नया बोर्ड बनने तक काम करता रहेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और दो पदेन सदस्यों के अतिरिक्त शेष सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से ही इकहरी हस्तांतरणीय पद्धति

के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।

धारा - २०

राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड :

१. राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन राज्य परिषद के सदस्यों में से सामान्यतः राज्य परिषद के गठन के बाद पहली बैठक में किया जाएगा। यह राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड नई राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड के गठन होने तक कार्य करता रहेगा। चुनाव इकहरी हस्तांतरणीय पद्धति के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।

२. यदि कोई राज्य परिषद् पार्टी संविधान के अनुसार राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का चुनाव नहीं कर पाता है तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

धारा - २१

अनुशासन संबंधी नियम :

१. अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी अनुशासन भंग के मामलों को निपटाने हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक समिति गठित करेगी, जिसके सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे। केन्द्रीय अनुशासन समिति, राज्य अनुशासन समिति के फैसलों के खिलाफ अपीलों को निपटाएगी और ऐसे मामलों का भी फैसला करेगी जो समता पार्टी के प्रधान महासचिव द्वारा भेजे जाएंगे।

२. निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य तथा जिला कार्यकारिणी किसी पार्टी इकाई या उसके किसी

सदस्य अथवा पदाधिकारी के विरूद्ध जिसने अनुशासन की अवज्ञा की हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है :

(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी इकाई या पार्टी सदस्य के विरूद्ध, कार्रवाई कर सकती है, किन्तु राष्ट्रीय परिषद् के विरूद्ध नहीं।

(ख) राज्य परिषद् की कार्यकारिणी केवल अधीनस्थ इकाइयों तथा उन व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है, जो राष्ट्रीय परिषद् एवं संसद के सदस्य न हो। राष्ट्रीय परिषद तथा संसद के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने के लिए राज्य कार्यकरिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सिफारिश कर सकती है।

(ग) जिला कार्यकारिणी केवल अपनी अधीनस्थ इकाइयों तथा जिला इकाई के सदस्यों के विरूद्ध कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जिला परिषद् को किसी डेलीगेट या विधान मंडल अथवा संसद सदस्य के विरूद्ध कार्रवाई करने का अधिकार न होगा। ऐसे मामलों में वह केवल सक्षम अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये सिफारिश भेज सकती है।

3. राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने के लिए पेश मामलों की जांच करने के उद्देश्य से उप–समितियां बना सकती है और संबंधित कार्यकारिणी से सिफारिशें कर सकती है।

मुअत्तिल या निलंबित करने का अधिकार :

(क) समता पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद् की किसी भी अधीनस्थ पार्टी इकाई व पार्टी के किसी भी सदस्य को, यदि अनुशासन भंग किए जाने का प्रारम्भिक सबूत हो, मुअत्तिल कर सकते हैं। अध्यक्ष को चाहिए कि वह स्वयं ऐसे मामले को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु पेश कर दें।

(ख) राज्य शाखा या अध्यक्ष, पार्टी के किसी भी सदस्य, राज्य परिषद के अधीनस्थ किसी भी पार्टी–इकाई और राज्य परिषद के किसी भी सदस्य को, यदि संबंधित इकाई या सदस्य के खिलाफ अनुशासन भंग होने का प्रारम्भिक सबूत हो, मुअत्तिल कर सकता है। लेकिन किसी संसद सदस्य, अपने राज्य के विधायक और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य को मुअत्तिल नहीं कर सकता है। परन्तु शर्त यह है कि जिला इकाई अथवा राज्य परिषद् के सदस्य के मामले में वह इस अधिकार का प्रयोग समता पार्टी के अध्यक्ष की स्वीकृति से ही कर सकेगा। इस प्रकार की मुअत्तिली के तमाम मामले और तत्पश्चात उन पर लिये निर्णय की रिपोर्ट मुअत्तिली या फैसले के एक सप्ताह के अंदर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में भेजी जाएगी। लेकिन राज्य शाखा के अध्यक्ष को राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक के समक्ष यह मामला रखना होगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों को, जिनमें मुअत्तिली की आज्ञा प्रदान की गई है। एक महीने के अंदर निपटाने के लिए पहल और कार्रवाई करनी होगी।

४. अनुशासन भंग होना :

अनुशासन भंग करने में निम्नलिखित शामिल है :

(क) समता पार्टी के कार्यक्रम तथा निर्णय के विरूद्ध कार्य करना अथवा प्रचार करना :–

स्पष्टीकरण : पार्टी के किसी भी निर्णय अथवा कार्यक्रम के संबंध में पार्टी के किसी भी सदस्य को अपने विचार पार्टी मंच की परिधि में व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(ख) किसी भी सक्षम अधिकारी के निर्देश का उल्लंघन करना या किसी नियम की अवहेलना करना,

(ग) अनधिकृत रूप से पार्टी के लिए धन इकट्ठा करना, पार्टी

कोष का दुरूपयोग करना या सदस्यों की भर्ती पर पार्टी के चुनाव में भ्रष्ट–तरीके काम में लाना,

(घ) अनैतिक आचरण, काला–बाजारी, रिश्वत खोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी या गबन के लिए दोषी पाया जाना,

(च) शराब का धंधा करना,

(द) योजनानुसार ऐसा कार्य करना जिनसे समता पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे या पार्टी इकाइयों या पदाधिकारियों के खिलाफ प्रचार करना,

(ज) पार्टी के सदस्य के खिलाफ सार्वजनिक रूप से गंभीर लांछन लगाना।

५. **नोटिस :**

(क) किसी भी व्यक्ति अथवा कमेटी पर लगाये गये आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिये बिना उसके विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ख) अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से नोटिस जारी किया जा सकता है, बशर्ते–कि वह सक्षम अधिकारी यह समझता हो कि संबंधित कमेटी या व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

(ग) किसी भी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होने की तारीख से दो महीने के अंदर पूरी करनी होगी।

६. **दण्ड :**

(क) अनुशासन भंग करने का दण्ड पार्टी इकाई को उसके भंग

किये जाने के रूप में दिया जा सकता है और अनुशासन भंग करने वाले सदस्यों के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई जो आवश्यक हो, की जा सकती है।

(ख) किसी पदाधिकारी या पार्टी इकाई के सदस्य के मामले में उसे उसके पद या सदस्यता से हटाया जा सकता है और ऐसी अवधि निश्चित की जा सकती है, जिसके दौरान न तो वह प्रारम्भिक सदस्य बन सकता है, न किसी इकाई का सदस्य बन सकता है और न ही वह किसी पद के लिए नामज़द या चुना जा सकता है।

(ग) प्रारम्भिक एवं क्रियाशील सदस्य के मामले में उसे सदस्यता से हटाया जा सकता है तथा एक निश्चित अवधि के लिए सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता है।

(घ) लेकिन शर्त यह है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो और दण्ड दिया गया हो, यदि किसी स्वायत्त संस्था, विधान मंडल, संसद या पार्टी सदस्य होने के नाते कोई दूसरा पद ग्रहण किए हो तो उसे ऐसे निकायों से त्याग–पत्र देने के लिए कहा जा सकता है।

७. **अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट :**

जब जिला कार्यकारिणी अथवा राज्य कार्यकारिणी में से किसी एक ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की हो, तो उसके निर्णय की सूचना एक सप्ताह के अंदर क्रमशः राज्य कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दी जानी चाहिए।

८. **अपील :**

(क) किसी भी पार्टी इकाई या सदस्य को, जिसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, आदेश प्राप्त होने के

तीन सप्ताह के अंदर राज्य कार्यकारिणी के फैसले के खिलाफ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास अपील करने का अधिकार होगा, बशर्ते की अपील कर दिए जाने वाले निर्णय तक आज्ञा का पालन किया जाए। पार्टी अध्यक्ष तथा राज्य शाखा के अध्यक्ष इस प्रकार की आज्ञा को, जैसा भी प्रकरण हो, उचित समझें तो कार्यरूप में परिणत होने से रोक सकते हैं।

(ख) संबंधित समिति से आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर ही अपील के लिए दो प्रतियों में प्रार्थना–पत्र भेज देना चाहिए।

(ग) इस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरूद्ध, जिसमें किसी को निर्वाचित समिति से हटाया गया हो, अपील के निर्णय तक रिक्त हुए स्थान की पूर्ति नहीं की जाएगी।

(घ) कोई भी अपील दायर होने के दो महीने के अंदर निपटा दी जाएगी।

विविध :

१. चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अयोग्यताएं :

(क) राज्य चुनाव अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारी ऐसे क्षेत्र में, जहां वे इन पदों पर काम कर रहे हैं, पार्टी चुनाव में उम्मीदवार बनने के योग्य नहीं होंगे और चुनावों के एक वर्ष बाद तक वे पार्टी चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे।

(ख) पार्टी का चन्दा और अन्य शुल्क नहीं देने वाले :

संसद अथवा राज्य विधान मंडल का समता पार्टी सदस्य संबंधित दल की कार्यकारिणी द्वारा निश्चित समयावधि के अंदर यदि पार्टी का चन्दा अदा नहीं करता है तो उसके पार्टी या संगठन के चुनाव में खड़ा होने से रोक दिया

जाएगा।

(ग) उपर्युक्त प्रावधान के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों या संबंधित अधिकारियों को करनी होगी।

१. समता संसदीय दल व विधायक दल और राज्य शाखा के मंत्रियों को समय-समय पर संबंधित राज्य शाखा के मंत्री और संबंधित जिला इकाई के मंत्री को उन सदस्यों के बारे में सूचना भेजनी होगी, जो निश्चित-अवधि के अंदर बंकाया राशि अदा नहीं कर पाए हैं।

२. राज्य शाखा और जिला इकाई के मंत्रियों को ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को चंदा न देने वाले उन सदस्यों के नामों की सूचना भेज देनी चाहिए कि विधान मंडल का अमुक सदस्य संगठन सबंधी चुनावों में खड़ा नहीं हो सकता।

३. जब विधान मंडल का सदस्य अपने चंदे या बकाया राशि की अदायगी कर देगा तो पार्टी का मंत्री राज्य इकाई और जिला इकाई के मंत्रियों को सूचित करेगा कि अमुक व्यक्ति ने चंदा अदा कर दिया है और इसी प्रकार राज्य शाखा और जिला इकाई के मंत्री राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सूचना देंगे। यदि राज्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रकार की सूचना नामांकन-पत्र दाखिल करने के कम से कम २४ घंटे पूर्व प्राप्त हो तो उस व्यक्ति के उम्मीदवार होने की योग्यता की घोषणा कर देगा।

(घ) पार्टी कार्यकर्ता, यदि वे संसद या विधान मंडल के सदस्य न हों, और चंदे की राशियां भी अदा न की हों तो संगठन के चुनावों में खड़े नहीं हो सकते और न किसी इकाई या समिति में नामजद ही किये जा सकते हैं।

२. **सहवरित सदस्यों का कार्यकाल :**

सहवरित सदस्यों का कार्यकाल समिति के चुने हुए सदस्यों की कार्य अवधि के बराबर होगा।

३. **पार्टी इकाई की सदस्यता चुनने का विकल्प :**

(क) जहां राज्य इकाई या जिला इकाई का कोई सदस्य ऐसे क्षेत्र से चुना जाए, जहां वह नहीं रहता, वहां उसे उपरोक्त इकाइयों की पहली बैठक से पूर्व उस जिला इकाई या अधीनस्थ इकाई का नाम, जहां से वह सदस्य होना चाहता है, लिखकर जिला इकाई या प्रदेश इकाई के पास भेज देना चाहिए। अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि वह जिस क्षेत्र से चुना गया है, उस क्षेत्र की जिला इकाई या अधीनस्थ इकाई में सदस्य बनना उसने पसंद किया है।

(ख) संसद या विधान मंडल का कोई सदस्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाए जो एक से अंधिक अधीनस्थ इकाइयों या जिला इकाइयों के अधिकार क्षेत्र में आता है तो जैसी स्थिति हो, उसे उस अधीनस्थ इकाई या जिला इकाई का पदेन सदस्य होने का अधिकार होगा, जिसमें वह साधारणतया रहता हो।

४. **मतदान का तरीका :**

(१) जहां किसी पद या कमेटी के लिए चुनाव के तरीके का विधान या नियमों में स्पष्टीकरण नहीं है, वहां मतदान मत पत्र द्वारा होगा और जहां एक से अधिक सदस्य चुने जाने है, वहां मतदान इकहरी हस्तांतरणीय पद्धति के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा।

(२) स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रखंड या चुनाव क्षेत्र इकाई, जिला इकाई और राज्य इकाई के लिए चुनाव एक

निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, जिसमें इन स्वायत्त संस्थाओं के चुने हुए पार्टी के सदस्य होंगे। यह चुनाव इकहरी हस्तांतरणीय प्रणाली के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा। इसी प्रकार पार्टी में रामता पार्टी के संसद सदस्यों और विधायकों के प्रतिनिधियों के चुनाव में मतदान की यही प्रणाली लागू होगी।

५. पार्टी परिषदों या कमेटियों का गठन :

कोई भी पार्टी इकाई वैध रूप से गठित समझी जायेगी यदि संबंधित कमेटी या परिषद् के लिए चुने जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या के तीन–चौथाई सदस्य विधिपूर्वक चुन लिए जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या के तीन–चौथाई सदस्य विधिपूर्वक चुन लिये गये हों–कुल सदस्यों की संख्या निर्वाचन अधिकारी निश्चित करेंगे।

६. किसी भी पार्टी इकाई के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अल्प अवधि के लिए यदि वह अध्यक्ष का काम किसी सीमित अवधि के लिए अंजाम देने में असमर्थ है, अपने से ऊपर की संबंधित इकाई की पूर्व स्वीकृति लेकर उपाध्यक्षों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दें।

७. जिला और उससे नीचे के स्तर पर तदर्थ समितियों का गठन :

जिला या अधीनस्थ इकाई या नीचे के स्तर की दूसरी पार्टी इकाई के पार्टी विधान या नियमों के अनुसार अथवा अपने से ऊपर की कमेटी के निर्देशानुसार गठन न होने की स्थिति में उच्चतर कमेटी तत्कालीन कमेटी को मुअत्तिल कर सकती है और उस क्षेत्र में काम करने के लिये तदर्थ समिति का गठन कर सकती है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य शाखा किसी भी जिला इकाई को भंग नहीं करेगी, न उसे मुअत्तिल करेगी और न ही किसी अन्य तदर्थ समिति का गठन करेगी। इसी प्रकार राज्य शाखा

इकाई को भंग करेगी और न वहां तदर्थ समिति बना सकेगी। इस तरह से गठित तदर्थ समिति सामान्यतः तीन महीने तक काम करेगी। लेकिन उच्चतर समिति की अनुमति से यह अवधि तीन–तीन माह के लिये और बढ़ायी जा सकती है जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि इस बारे में कोई विशेष निर्देश न दिये गये हों, तो तदर्थ समिति को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो एक सामान्य इकाई को प्राप्त होते हैं।

फिर भी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को यह अधिकार होगा कि विशेष परिस्थितियों में किसी तदर्थ समिति की अवधि एक वर्ष से अधिक बढ़ा सकती है।

केन्द्रीय अनुशासन समिति की कार्य-पद्धति के नियम :

१. समता पार्टी के प्रधान महासचिव द्वारा आरोपित अनुशासनहीनता का मामला भेजे जाने पर उस मामले क विवरण इस कार्य के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किय जाएगा।

२. इस प्रकार का मामला दर्ज हो जाने पर उस व्यक्ति क नोटिस जारी किया जाएगा जिसके खिलाफ कोई शिकाय है या कार्रवाई शुरू की गई है। यह नोटिस और शिकायत पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि यदि कोई है, त संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और उससे कहा जाए कि वह नोटिस प्राप्त होने के १५ दिन के अंदर अप जवाब दायर कर दे।

३. इस प्रकार का नोटिस संबंधित व्यक्ति को प्राप्ति–पत्र सहि रजिस्ट्री डाक द्वारा या दस्ती यदि वह व्यक्ति दिल्ली ही उपलब्ध हो भेजा जाएगा ।

४. इस प्रकार के नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर केन्द्र

के लिए मुद्दत निश्चित करेगी और संबंधित पार्टी से पूछताछ करेगी कि क्या वे इस मामले में कोई सबूत मौखिक अथवा लिखित पेश करना चाहते हैं।

५. संबंधित पक्षों को, जैसी भी स्थिति हो, सबूत पेश करने के लिए कहा जाएगा। संबंधित पक्षों का यह मात्र दायित्व होगा कि वे अपना सबूत पेश करें।

६. केन्द्रीय अनुशासन समिति ज्यादा से ज्यादा किसी भी पक्ष के पहल करने पर किसी भी व्यक्ति को निवेदन पत्र जारी कर सकती है जिसमें उससे साक्ष्य के लिए उपस्थित होने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति इस निवेदन का पालन नहीं करता तो समिति दूसरा पत्र या नोटिस जारी नहीं करेगी।

७. सबूत देने का कार्य खत्म हो जाने के बाद संबंधित पक्षों के तर्क को सुना जाएगा और तत्पश्चात समिति मामले पर अपना फैसला करेगी और लिखित रूप में निर्णय देगी। यदि कोई पक्ष फैसला सुनाते समय हाजिर न हो तो इसकी सूचना संबंधित पक्षों को भेजी जाएगी।

८. यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है नोटिस दिए जाने के बावजूद गैर–हाजिर रहता है तो केन्द्रीय अनुशासन समिति, यदि उचित समझे या तो दूसरा नोटिस जारी कर सकती है या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि एक पक्षीय कारवाई करने की स्थिति में, मामलें का फैसला होने से पूर्व संबंधित व्यक्ति यदि उपस्थित होता है और समिति को तसल्ली करा देता है कि समिति के समक्ष पहले पेश होने में वह किसी उचित कारण से असमर्थ रहा है तो समिति एक पक्षीय कार्रवाई को रद्द कर सकती है और मामले की सुनवाई ऊपर लिखे ढंग से कर सकती है।

अपील :

१. (क) अपील प्राप्त होने पर उसे इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और अपील की सुनवाई के लिए कोई तारीख निश्चित की जाएगी।

(ख) अपील के साथ अपीलकर्ता अपने पते से भी सूचित करेगा जिसे पंजीकृत पता समझा जाएगा और उस पते पर भेजा गया कोई भी पत्र उसको दिया गया पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा।

(ग) अपीलकर्ता को सुनवाई की तारीख व्यक्तिगत रूप से या प्राप्ति कार्ड के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा या दस्ती चिट्ठी द्वारा यदि स्थानीय पता उपलब्ध हो, सूचित की जाएगी।

(घ) अपील की सुनवाई की तारीख से पूर्व संबंधित राज्य परिषद् से अपील संबंधी कागजात मंगा लिए जाएंगे।

२. यदि आवश्यक समझा गया तो राज्य परिषद् जिसके निर्णय के खिलाफ अपील की गई हो, का तर्क भी उसके प्रतिनिधि के जरिए सुना जाएगा।

३. अपीलकर्ता और अन्य दूसरे व्यक्ति या निकाय को सुनने के पश्चात् अपील पर फैसला उसी दिन दिया जा सकता है या सहूलियत के मुताबिक किसी दूसरे दिन। दूसरे दिन फैसला सुनाए जाने की स्थिति में फैसला संबंधित पक्षों के पास भेजना होगा।

४. ये नियम सम्पूर्ण नहीं है और केन्द्रीय अनुशासन समिति कोई प्रावधान न होने की अवस्था में प्राकृतिक न्याय, औचित्य आदि के अनुसार कार्रवाई कर सकती है।